

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

(स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)



विवरणिका

(परीक्षा का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी)

परीक्षा (मार्च-अप्रैल)
सामान्य परीक्षार्थी

सामान्य शुल्क - 16 जुलाई से 31 दिसम्बर तक
विलम्ब शुल्क - 01 जनवरी से 15 जनवरी तक


परीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर)
सामान्य परीक्षार्थी

सामान्य शुल्क - 16 जनवरी से 30 जून तक
विलम्ब शुल्क - 01 जुलाई से 15 जुलाई तक


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, पेंशनबाड़ा, रायपुर - 492001

दूरभाष : 7415200020, 7415100070, 7415100060

E-mail : cgsosraipur@gmail.com website : www.sos.cg.nic.in



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए 24X7X365 Day's का प्रावधान है।



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षाएँ वर्ष में दो बार आयोजित करता है।

अध्यक्ष की कलम से :-

प्रिय छात्रों,

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने पढ़ाई के अवसर खो दिए थे।

राज्य ओपन स्कूल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले लोगों को पढ़ाई का मौका देकर अपनी सेवाएँ दे रहा है। इस विवरणिका में ओपन स्कूल, द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रियाओं, एवं अध्ययन योजना की जानकारी समाहित है।

राज्य ओपन स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आप विवरणिका को ध्यान से पढ़ें और भविष्य की योजनाओं के आधार पर अपने विषयों का चुनाव करें।

मैं आशा करता हूँ कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करके आप अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकेंगे।

डॉ. आलोक शुक्ला
(भा.प्र.से)
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
रायपुर



सचिव की कलम से :-

प्रिय छात्र/छात्राओं,

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर वर्ष 2008 से निरंतर शिक्षा की मुख्य धारा से विमुख छात्र-छात्राओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील एवं कार्यरत हैं। यह योजना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वह अवसर प्रदान करती है जिससे वह शिक्षित होकर स्वाभिमान के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके और शिक्षित समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर सके।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा संचालित परीक्षाओं संबंधी योजनाओं को छात्र-छात्राओं तक आसानी से उपलब्ध कराने हेतु इस विवरणिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित समस्त विषयों के पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी को एकत्रित कर, छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं वर्ग तक सुलभ एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को पहुंचाना है। सत्र 2022-2023 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

प्रोफेसर व्ही. के गोयल
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
रायपुर



परिचय

छत्तीसगढ़ में "सबके लिये शिक्षा" के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कार्यालय एकीकृत भवन, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर में स्थित है।

मान्यता

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। अर्थात् छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों की मान्यता एक समान है।

1. प्रवेश

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी की परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो बार आयोजित की जाती है। प्रथम बार मार्च-अप्रैल माह में तथा दूसरी बार सितम्बर-अक्टूबर माह में दोनों परीक्षाओं में सामान्य परीक्षार्थी एवं अवसर परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

विस्तृत कार्य योजना/आवेदन करने की तिथियाँ निम्नानुसार है :-

1. मार्च-अप्रैल की परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथियां

सामान्य परीक्षार्थी

सामान्य शुल्क - 16 जुलाई से 31 दिसम्बर तक

विलंब शुल्क - 01 जनवरी से 15 जनवरी तक

अवसर परीक्षार्थी

सितम्बर परीक्षा परिणाम जारी होने के आगामी दिवस से 31 दिसम्बर तक सामान्य शुल्क के साथ एवं 01 जनवरी से 15 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ

2. सितम्बर-अक्टूबर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन की तिथियां

सामान्य परीक्षार्थी

सामान्य शुल्क - 16 जनवरी से 30 जून तक

विलंब शुल्क - 01 जुलाई से 15 जुलाई तक

अवसर परीक्षार्थी

अप्रैल परीक्षा परिणाम जारी होने के आगामी दिवस से 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ एवं 01 जुलाई से 15 जुलाई तक विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।

3. सामान्य परीक्षार्थी से अभिप्राय है कि दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा में प्रथम बार समस्त विषयों में सम्मिलित होने वाले छात्र, तथा क्रेडिट योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्र एवं कक्षा 12वीं में आर.टी.डी. योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्र भी सामान्य परीक्षार्थी की श्रेणी में कहलायेंगे।



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित है :-

(क.) हाईस्कूल (10वीं.)कार्यक्रम

हाईस्कूल कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु किसी अन्य बोर्ड से कक्षा 9वीं उत्तीर्ण या कक्षा 10वीं अनुत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आयु का बंधन नहीं है इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनके पास कोई भी शैक्षणिक अहर्ता नहीं है वे छात्र भी कक्षा 10वीं में प्रवेश ले सकते हैं परन्तु छात्र की आयु उस परीक्षा सत्र के 01 जनवरी को उसकी आयु 14 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।

(ख.) हायर सेकण्डरी (12वीं.) कार्यक्रम

यह कार्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिये है जो किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या बोर्ड से कक्षा 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो या कक्षा 12वीं की परीक्षा अनुत्तीर्ण हो ऐसे छात्र 12वीं की परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं उन्हे कक्षा 10वीं की अंकसूची भी जमा करना होगा। ऐसे छात्र जो हाईस्कूल (10वीं.) बोर्ड की परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुके हैं। वे छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष से एक वर्ष अंतराल के पश्चात् कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए पात्रता होंगे। इसके अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मण्डल से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र 12वीं की परीक्षा में लिए गये विषय समूह के अतिरिक्त किसी अन्य विषय समूह जो छ.ग.राज्य ओपन स्कूल के परीक्षा योजना के अनुरूप हो में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अर्थात् हायर सेकण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा में अन्य बोर्ड या राज्य ओपन स्कूल से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र को अन्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग.) हायर सेकण्डरी (आर.टी.डी.) कार्यक्रम

हायर सेकण्डरी (12वीं.) में कुल 05 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाईस्कूल (10वीं.) परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्र बिना अंतराल के हायर सेकण्डरी (12वीं.) की आगामी परीक्षा में अधिकतम चार विषय लेकर सम्मिलित हो सकता है। यदि छात्र इनमें से किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो वह आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है परन्तु पांचवे विषय में सम्मिलित होने की पात्रता 10वीं उत्तीर्ण होने के वर्ष से एक वर्ष के अंतराल में होगी। (उदाहरणार्थ यदि कोई छात्र अप्रैल 2022 में हाईस्कूल (10वीं.) की परीक्षा उत्तीर्ण है तो वह आर.टी.डी. योजना के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा अधिकतम 4 विषय लेकर आगामी आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है किन्तु पांचवे विषय में सम्मिलित होने की पात्रता 10वीं उत्तीर्ण होने के एक वर्ष के अंतराल अर्थात् वर्ष 2024 की परीक्षा में होगी।)



हाईस्कूल(10वीं.)/हायर सेकण्डरी (12वीं.) में प्रवेश हेतु अहर्ताएं

अनिवार्य योग्यताएं	हाईस्कूल पाठ्यक्रम	हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम
1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कोई बंधन नहीं अथवा अधिकतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मंडल/बोर्ड से 9वीं. की परीक्षा उत्तीर्ण या 10वीं. की परीक्षा अनुत्तीर्ण।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या कक्षा 11वीं. की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र या कक्षा 12वीं. की परीक्षा अनुत्तीर्ण छात्र प्रवेश की पात्रता होगी। या हायर सेकण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा में अन्य बोर्ड या राज्य ओपन स्कूल से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र पूर्व में उत्तीर्ण विषय संकाय के अतिरिक्त अन्य विषय संकाय जो छ.ग.राज्य ओपन स्कूल के अध्ययन योजना के अनुरूप है में प्रवेश की पात्रता होगी।
2. न्यूनतम आयु	वे छात्र जिनके पास कोई शैक्षणिक अहर्ता नहीं है उन छात्रों के लिए परीक्षा सत्र के 01 जनवरी की स्थिति से 14 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है।	कोई बंधन नहीं
3. अधिकतम आयु	कोई बंधन नहीं।	कोई बंधन नहीं
4. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	(i) जन्मतिथि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र निम्न में से कोई एक। (अ) अध्ययनरत अंतिम शाला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र/5वीं/8वीं/10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति/जन्म प्रमाण पत्र। अथवा (ब) यदि छात्र उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है और सीधे हाईस्कूल (10वीं.) की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में (ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका /नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	हाईस्कूल (10वीं.) परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो तथा वे छात्र जो 12वीं. की परीक्षा उत्तीर्ण है उसे 10वीं. की एवं 12वीं. की दोनों की अंकसूची

प्रवेश प्रक्रिया

हाईस्कूल या हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र (आई.सी.आर.) छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर की वेबसाइट www.sos.cg.nic.in में अपलोड किया गया है जिसे डाऊनलोड कर दो प्रति भर कर जिस अध्ययन केन्द्र से आप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वहाँ समस्त सह प्रमाण पत्रों के साथ जमा करें। आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन फार्म की छायाप्रति में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें **(दो सैट)**।

आवेदन फार्म निरस्त होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

क्रेडिट योजनांतर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उनके आवेदन को प्राचार्य द्वारा अग्रेषित भी नहीं किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अध्ययन केन्द्रों की सूची इस विवरणिका के परिशिष्ट "अ" में दी गयी है। आप अपने संबंधित अध्ययन केन्द्र पर आवेदन पत्र की दोनों प्रतियाँ भर कर जमा कर सकते हैं।



टिप्पणी :-

- (अ) छात्र प्रवेश आवेदन पत्र (आई.सी.आर.) भरते समय पूर्ण सावधानी रखें। विशेषकर छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं अन्य चाही गयी जानकारी भरने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ताकि संशोधन की प्रक्रिया से बचा जा सके। परीक्षा आवेदन पत्र (आई.सी.आर.) के फोटोकॉपी की एक प्रति आपने पास सुरक्षित रखें।
- (ब) परीक्षा के पूर्व आपको प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। छात्र प्रवेश पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियों को ध्यान से मिलान करें कि प्रवेश पत्र में छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं लिए गये विषय सही अंकित है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो सादे कागज में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र लिखकर आवेदन पत्र के साथ प्रवेश पत्र एवं आई.सी.आर. की फोटोकॉपी संलग्न कर संबंधित अध्ययन केन्द्र में जमा करें।
- (स) आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक संलग्न नहीं होने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना सूचना दिये रद्द कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (द) कटे-फटे, सफेदा लगे हुए, कागज चिपके हुए, त्रुटि पाये जाने पर परीक्षा आवेदन पत्र (आई.सी.आर.) निरस्त किये जा सकते हैं।

पुनः प्रवेश योजना

यह योजना उन छात्रों के लिए है जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर पात्रता अवधि (9 अवसर) में परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। ऐसे छात्र पुनः प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्रों को नवीन पंजीयन क्रमांक प्रदाय किया जायेगा। नियमानुसार क्रेडिट योजना की पात्रता होगी। कोई छात्र 09 अवसर पूर्ण होने के पूर्व नवीन प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।

अध्ययन अवधि

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की योजनाओं में छात्र का प्रवेश मुख्य परीक्षा सहित 9 अवसरों की परीक्षाओं के लिए मान्य होता है इसके लिए एक मुख्य परीक्षा एवं आठ अवसर परीक्षा छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए प्रदान किये जाते हैं। नौ परीक्षाओं के लिए अधिकतम 4½ वर्ष की समय-सीमा है। मुख्य परीक्षा के पश्चात जो आठ अवसर प्रदान किये जाते हैं उसकी गणना सतत् अवसर परीक्षाओं के आधार पर की जाती है यदि कोई छात्र सतत् गणना में किसी भी अवसर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उस अवसर परीक्षा को भी नौ अवसर परीक्षा में गणना किया जायेगा। इस अवधि में उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रथम अवसर उपरांत छात्र नियमानुसार शुल्क देकर आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इस हेतु उसे अध्ययन केन्द्र पर परीक्षा फार्म जमा करना होगा।

2. अध्ययन केन्द्र

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा राज्य में आवश्यकतानुसार अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सूची प्रस्तुत जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर दी गयी है। आप अपनी सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र पर प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।



अध्ययन योजना

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल स्वयं पढ़ने के सिद्धांत पर आधारित है। आप स्वयं अपनी गति एवं सुविधा से पढ़ेंगे। इसके लिये आपके द्वारा चयनित विषयों की अध्ययन सामग्री प्रदान की जावेगी, जिसे आप अपने संबंधित अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं।

a- हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये अध्ययन योजना निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

(अध्ययन योजना)		
पाठ्यक्रम	विषय	विशेष
हाईस्कूल	भाषा – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, विषय – गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन एवं गृह विज्ञान	न्यूनतम कोई पांच विषयों में से कम से कम एक भाषा लेना अनिवार्य है।
		अधिकतम दो भाषाएं ली जा सकती है।
हायर सेकण्डरी	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति-विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखांकन, गृह-विज्ञान	न्यूनतम कोई पांच विषयों में से कम से कम एक भाषा लेना अनिवार्य है।
		अधिकतम दो भाषाएं ली जा सकती है।
टिप्पणी	रेखांकित विषयों में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं आयोजित होगी।	
	गृह-विज्ञान विषय छात्र-छात्राओं दोनों द्वारा लिया जा सकता है।	
	क्रेडिट योजना के अंतर्गत छ.ग.राज्य ओपन स्कूल के हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना में सम्मिलित विषयों में से किन्ही दो विषयों में क्रेडिट की पात्रता होगी।	
	हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम में आप रसायन-विज्ञान के साथ इतिहास, लेखांकन आदि कोई भी विषय चुन सकते हैं किन्तु आप आगे भी अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा में संकाय विशेष प्रवेश की पात्रता को ध्यान में रखकर ही संकायवार विषयों का चयन करें।	

b- माध्यम

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रवेशित छात्र केवल हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

c- विषयों के चुनाव में लचीलापन (क्रेडिट बेस्ड चॉईस सिस्टम)

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों में से आप अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। कम से कम एक अथवा अधिकतम दो भाषाएं ली जा सकती हैं तदनुसार शेष तीन अथवा चार विषय अपनी पसंद से चुन सकते हैं कुल पांच विषयों का चयन अनिवार्य है। परीक्षा योजना निम्नानुसार है :-



परीक्षा योजना

कोड	विषय		पूर्णांक	न्यूनतम प्राप्तांक
हाईस्कूल				
201	हिन्दी		100	33
202	अंग्रेजी		100	33
204	मराठी		100	33
206	उर्दू		100	33
209	संस्कृत		100	33
211	गणित		100	33
212	विज्ञान	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08
213	सामाजिक विज्ञान		100	33
214	अर्थशास्त्र		100	33
215	व्यवसाय अध्ययन (वाणिज्य)		100	33
216	गृह विज्ञान	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08
हायर सेकण्डरी				
301	हिन्दी		100	33
302	अंग्रेजी		100	33
311	गणित		100	33
312	भौतिकी शास्त्र	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08
313	रसायन शास्त्र	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08
314	जीव विज्ञान	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08
315	इतिहास		100	33
316	भूगोल		100	33
317	राजनीति विज्ञान		100	33
318	अर्थशास्त्र		100	33
319	वाणिज्य		100	33
320	लेखांकन		100	33
321	गृह विज्ञान	सैद्धांतिक	75	25
		प्रायोगिक	25	08

d कृपांक निति

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये अधिकतम 8% अंक कृपांक होंगे अर्थात् 100 अंक के प्रश्न पत्र में 8 अंक एवं 75 अंक के प्रश्नपत्र में 6 अंक कृपांक तथा 25 अंक के प्रायोगिक प्रश्नपत्र में 2 अंक कृपांक के रूप में दिये



जायेंगे। उक्त कृपांक प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए प्रदाय किये जायेंगे अर्थात् कृपांक संबंधित विषय में छात्र को उत्तीर्ण होने हेतु दिया जायेगा। यदि संबंधित छात्र का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण है और वह किसी विषय में कृपांक से उत्तीर्ण हो रहा है तो उसे उस विषय में कृपांक प्रदाय किया जायेगा।

e- उत्तीर्ण विषयों का संकलन

कक्षा दसवीं/बारहवीं में आपके द्वारा चयनित विषयों की परीक्षा आप न्यूनतम एक प्रयास में अथवा अधिकतम नौ प्रयासों में उत्तीर्ण कर सकते हैं। आपके द्वारा विभिन्न प्रयासों में अर्जित अथवा उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांकों का समावेश अंतिम अंक तालिका में कर दिया जायेगा।

f- चयनित विषयों में परिवर्तन

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् आप अपने पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के दौरान (साढ़े चार वर्षों की अवधि) अनुत्तीर्ण विषयों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस विवरणिका के अंत में दिए गये विषय-परिवर्तन प्रारूप-एक को भरकर, निर्धारित समय-सीमा में, अध्ययन केन्द्र प्राचार्य के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार विषय परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा आवेदन प्रारूप इस विवरणिका में संलग्न है एवं उक्त आवेदन प्रारूप छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर कार्यालय की वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

g- छ.ग.राज्य ओपन स्कूल में प्रवेशित छात्र के अध्ययन केन्द्र का परिवर्तन करने के लिए निर्धारित परिवर्तन शुल्क देय होगा। केन्द्र परिवर्तन हेतु संबंधित अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् केन्द्र परिवर्तन के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्रारूप इस विवरणिका में संलग्न है तथा उक्त आवेदन का प्रारूप छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर कार्यालय की वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

h- व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के द्वारा प्रत्येक वर्ष ओपन स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिये संपर्क कक्षा का आयोजन अध्ययन केन्द्रों में किया जाता है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये शीतकालीन अवकाश में पांच दिवस एवं 1 जनवरी से 15 मार्च तक माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संपर्क कक्षाओं का आयोजन संबंधित अध्ययन केन्द्रों में किया जावेगा।

अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क

निम्नलिखित कार्य हेतु आपको अध्ययन केन्द्रों से सम्पर्क करना होगा :-

- 01 आवेदन-पत्र, प्रवेश शुल्क एवं अन्य दस्तावेज जमा करने हेतु।
- 02 अध्ययन सामग्री एवं पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु।
- 03 सम्पर्क कक्षा की समय सारणी जानने हेतु।
- 04 सम्पर्क कक्षाओं में उपस्थित होने हेतु।
- 05 प्रवेश पत्र, मार्ड्रेशन, अंकसूची, प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु।
- 06 छात्र का नाम, पिता का नाम, विषय और अन्य प्रविष्टियों में त्रुटियों को सुधारने हेतु।



i- परीक्षार्थियों को लेखक दिए जाने सम्बन्धी निर्देश :-

- 01 केवल निम्नांकित परिस्थितियों में ही परीक्षार्थियों को लेखक दिए जाने की पात्रता होगी :-
 (अ) दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को।
 (ब) ऐसे परीक्षार्थी जो हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण, अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो।
 (स) स्पाटिक सेरेब्रेल पाल्सी (मानसिक दिव्यांग) से पीड़ित परीक्षार्थी को इस हेतु जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 02 लेखक की योग्यता विभिन्न परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार रहेगी।
 (अ) हाईस्कूल परीक्षा के लिए – अधिकतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण।
 (ब) 12वीं परीक्षाओं के लिए – अधिकतम कक्षा 9वीं उत्तीर्ण।
- नोट :-** उपरोक्त संबंध में शैक्षणिक अहर्ता संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 03 दृष्टिहीन/स्पाटिक सेरेब्रेल पाल्सी (मस्तिष्क का लकवा) से पीड़ित छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए सामान्य समय तीन घण्टे के अतिरिक्त डेढ़ घण्टे का समय दिया जावेगा।

3. क्रेडिट योजना (अंकों का स्थानांतरण)

यह योजना ऐसे छात्रों के लिये है जो अन्य मान्यता प्राप्त मंडलों या राज्य ओपन स्कूलों से कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की परीक्षा अनुत्तीर्ण हैं ये छात्र छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे छात्रों को अधिकतम दो उत्तीर्ण विषयों के अंकों के क्रेडिट (अंकों के स्थानांतरण) की सुविधा होगी। क्रेडिट सिर्फ उन्हीं विषयों का किया जा सकेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम में सम्मिलित हों अर्थात् विषय सूची में से हों। ऐसे छात्रों को अनुत्तीर्ण परीक्षा फल की मूल अंकसूची प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रवेश फार्म में क्रेडिट के विषय (जिन विषयों के अंकों का स्थानांतरण चाहा जा रहा हो) एवं चयनित विषयों की जानकारी देना अनिवार्य रहेगा। **क्रेडिट शुल्क 100/- प्रति विषय देना होगा।** मान्यता प्राप्त बोर्ड की सूची परिशिष्ट "द" पर देखें।

छात्र यदि चाहे तो अपने मूल अनुत्तीर्ण विषय बदलकर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की विषय सूची में से (अपनी मूल अंकसूची के विषय छोड़कर) अन्य विषय ले सकता है। यदि छात्र उत्तीर्ण विषयों का क्रेडिट ना चाहें तो पूर्व अंकसूची के उत्तीर्ण विषयों को बदलकर भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

"क्रेडिट श्रेणी" परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. क्रेडिट श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थी, आवेदन भरते समय ही यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें पूर्व मण्डल की अंकसूची से अधिकतम दो उत्तीर्ण विषयों का क्रेडिट ही दिया जा सकता है।
2. अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को क्रेडिट योजना के तहत उत्तीर्ण विषयों में से अधिकतम दो विषयों के अंक क्रेडिट करने की पात्रता होगी। यदि अन्य बोर्ड के एवं राज्य ओपन स्कूल की अंक योजना में भिन्नता है तो ऐसी स्थिति में उत्तीर्ण विषयों के अनुपातिक अंक क्रेडिट किये जायेंगे। 100 अंक पूर्णांक वाले ऐसे विषय जिसमें सैद्धांतिक एवं प्रोजेक्ट वर्क के अंक शामिल है। उन विषयों में सैद्धांतिक विषय के प्राप्तांक के आधार पर क्रेडिट का लाभ दिया जावेगा।

इस संबंध में आवश्यक होने पर परीक्षार्थी समन्वयक संस्था के प्राचार्य/केन्द्र प्रभारी से मार्गदर्शन प्राप्त करें।



3. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र को प्रवेश फार्म के साथ पूर्व मण्डल की अनुत्तीर्ण मूल अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है।
4. विद्यार्थियों को ओपन स्कूल द्वारा निर्धारित विषयों में ही क्रेडिट की पात्रता होगी। वाणिज्य संकाय के विषय **Elements Of Commerce & Management** को वाणिज्य विषय में तथा **Book keeping & Accountancy** को लेखांकन विषय में क्रेडिट की पात्रता होगी। **Applied Economics & Commerce Geography** विषय में क्रेडिट की पात्रता नहीं है। **होम साइंस ग्रुप के** (1) Food and Nutrition (2) Anti Physiology and FIRST AID (3) Elements Of Science विषयों में क्रेडिट की पात्रता नहीं है।

यदि कोई अनुत्तीर्ण छात्र क्रेडिट योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे सभी पाँच विषय की परीक्षा देनी होगी।

अंक वृद्धि/श्रेणी सुधार कार्यक्रम

यह कार्यक्रम केवल उन छात्रों के लिये है जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से सत्र 2022 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र यदि अपने अंकों में वृद्धि/श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, तो वे मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं इस हेतु परीक्षार्थी को मात्र एक अवसर दिया जायेगा। अंकों में परिवर्तन तभी मान्य किया जायेगा जब **पूर्व प्राप्तांक में 10 प्रतिशत वृद्धि** हो अथवा श्रेणी में परिवर्तन हो। उन विषयों में जिनमें प्रायोगिक विषय भी शामिल हैं अंक सुधार हेतु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। **अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को, अंक वृद्धि/श्रेणी सुधार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।**

अंक परिवर्तन/श्रेणी सुधार हेतु आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से **अंक वृद्धि/श्रेणी सुधार हेतु आवेदन अंकित किया जाये। अंक वृद्धि/श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व में लिये गये पांचों विषयों एवं पूर्व पंजीयन से ही परीक्षा देनी होगी। इन्हें पूर्व में लिये गये क्रेडिट विषयों में भी परीक्षा देनी होगी विषय परिवर्तन एवं नवीन पंजीयन मान्य नहीं होगा।**

नोट : ऐसे छात्रों को पंजीयन शुल्क पुनः जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

शुल्क में छूट संबंधी प्रावधान

शुल्क में छूट संबंधी प्रावधान			
वर्ग जाति प्रमाण पत्र		राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैं :-	
1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ 25 प्रतिशत प्रवेश शुल्क में छूट	अ	कलेक्टर/एडिशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ./ एस.डी.एम./ सिटी मजिस्ट्रेट
		ब	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/क्षेत्र संयोजक ट्राइबल विभाग
		स	जिला संयोजक/सहा. परियोजना प्रशासक, (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं पिछड़ा वर्ग विभाग)
		द	परियोजना प्रशासन/अधिकारी (वृहद/मध्यम/लघु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना)
2	दिव्यांग छात्रों को प्रवेश शुल्क में 50% तक की छूट	अ	सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन।
		ब	यह छूट केवल उन छात्रों को प्रदान की जावेगी, जो स्थायी रूप से 40% अथवा अधिक दिव्यांग हों।
3	सभी महिलाओं को प्रवेश शुल्क में 25% प्रतिशत तक की छूट	अ	सभी महिलाओं को प्रवेश शुल्क में 25% प्रतिशत तक की छूट



4.	सिनीयर सिटीजन एवं ट्रांसजेंडर के लिए प्रवेश शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट	अ	समस्त सिनीयर सिटीजन जो 60 वर्ष की आयु से उपर है तथा ट्रांसजेंडर को प्रवेश शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट
----	-------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

टिप्पणी : ऊपर वर्णित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करवाकर आवेदन फार्म के साथ उसकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न करने पर ही शुल्क रियायत संबंधी विचार करना संभव होगा । निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र न होने पर संपूर्ण शुल्क आवेदन के साथ जमा करना होगा ।

अनुचित साधनों का प्रयोग

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर छ.ग. राज्य ओपन स्कूल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ये मापदण्ड ओपन स्कूल के वेबसाईट www.sos.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

अंकसूची में त्रुटि/डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन/सत्यापन निराकरण से संबंधित निर्देश

1. अंकसूची में त्रुटि सुधार संबंधित निर्देश :-

(a) अंकसूची में किसी विषय में त्रुटिवश अनुपस्थित हो जाने पर, क्रेडिट अंक/प्रायोगिक अंक प्रविष्ट न होने पर या अन्य विषय संबंधित त्रुटि होने पर अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत तीन माह की समय सीमा में अध्ययन केन्द्र से अग्रेषित कराकर राज्य कार्यालय में प्रस्तुत करें। समय सीमा के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(b) अंकसूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, छात्र का फोटो आदि संबंधित त्रुटि या अंकित नहीं होने पर छात्र परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत तीन माह के समय-सीमा में त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज (5वीं., 8वीं., 10वीं. की मूल अंकसूची, दाखिल खारिज पंजी की छायाप्रति (संस्था प्रमुख से सत्यापित), शपथ पत्र) के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर त्रुटि सुधार हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह की समय-सीमा के पश्चात् अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 250/- रु. आवेदन पत्र के साथ देय होगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत जन्मतिथि एवं छात्र के फोटो संबंधी त्रुटि सुधार की अधिकतम समय-सीमा तीन वर्ष है।

2. डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन/अंकसूची सत्यापन से संबंधित निर्देश :-

(a) अंकसूची/माइग्रेशन की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छायाप्रति/प्रवेश पत्र की छायाप्रति/माइग्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र तथा निर्धारित शुल्क 100/-रूपये जमा करना होगा।

(b) अंकसूची के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति एवं सत्यापन शुल्क 200/-रूपये जमा करना होगा।

अंकों की पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति :-

पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु छात्र द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा दिनांक से 15 दिवस की समय-सीमा में वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। छात्र यदि पुनर्गणना कराने का इच्छुक है तो पुनर्गणना प्रारूप के साथ निर्धारित शुल्क 100/-रु. प्रति विषय की दर से जमा करना होगा। पुनर्गणना में अंक वृद्धि होने पर अंक वृद्धि के साथ परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा यदि पुनर्गणना में अंक में कमी होती है तो अंक में कमी के साथ परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। यदि छात्र उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति चाहता है तो



आवेदन पत्र के साथ जितने विषय की छायाप्रति लेना हो तो प्रति विषय 500/—रु. की दर से जमा करना होगा। ऐसे छात्र जो पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति दोनों प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पुनर्गणना प्रति विषय 100/—रु. एवं उ.पु. प्राप्त करने के लिए प्रति विषय 500/—रु. की दर से संयुक्त रूप से आवेदन कर निर्धारित शुल्क के साथ समय-सीमा (15 दिवस में) में जमा करें। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

फोटो पहचान पत्र

कृपया ध्यान रखें कि चार पासपोर्ट आकार (5 सें.मी. X 4 सें.मी.) के नवीनतम फोटो आवेदन पत्र, पहचान पत्र, आई.सी.आर. फार्म पर निर्धारित स्थान पर चस्पा करे ।

पहचान पत्र पर चस्पा किया गया फोटो अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य द्वारा सील सहित सत्यापित होना चाहिए ।

विशेष नोट :	
01	छ.ग. राज्य ओपन स्कूल में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के जिन विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उन विषयों में यदि छात्र सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक-पृथक अनुत्तीर्ण है तो छात्र को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ऐसे छात्र जो केवल सैद्धांतिक विषय में अनुत्तीर्ण है एवं प्रायोगिक में उत्तीर्ण है तो उसे केवल सैद्धांतिक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। इसी प्रकार ऐसे छात्र जो प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण एवं सैद्धांतिक विषय में अनुत्तीर्ण है वे छात्र केवल प्रायोगिक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते है।
02	क्रेडिट योजनांतर्गत यदि छात्र छ.ग. राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा में अपने पूर्व बोर्ड के अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा दे रहा है तो उसे सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही परीक्षा देना अनिवार्य होगा ।
03	यदि छात्र फार्म भरते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी देता है या अमान्य बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है ऐसी स्थिति में फार्म निरस्त कर दिया जायेगा तथा छात्र द्वारा जमा शुल्क वापस नहीं की जावेगी।
04	परीक्षा शुल्क का समायोजन आगामी परीक्षा में नहीं किया जायेगा ।





छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर

अध्ययन केन्द्रों की अद्यतन जानकारी

स.क्र.	अध्ययन केन्द्रों का नाम	केन्द्र क्रमांक
राजनांदगांव		
1	शा.एम.एल.बी. क.उ.मा.वि. राजनांदगांव	01-01
2	शा. बालक उ.मा.वि. डोंगरगढ़	01-04
3	शा. उ.मा.वि. छुरिया	01-05
4	शा. बालक उ.मा.वि. डोंगरगांव	01-06
5	शा.बा.उ.मा.वि.राजनांदगांव	01-10
6	शा.क.उ.मा.वि.डोंगरगढ़	01-13
7	शा बी.पी.उ.मा.वि.बसंतपुर	01-15
8	शा उ.मा.वि.सोमनी	01-16
9	शा उ.मा.वि.तिलई	01-17
10	शा कन्या उ.मा.वि.डोंगरगांव	01-18
11	शा उ.मा.वि.तुमड़ीबोड़	01-19
12	शा पूर्व मा.शाला चिंचोला	01-24
13	शा.उ.मा.वि.जंगलपुर	01-25
14	शा.उ.मा.वि. लालबहादुर नगर	01-26
15	शा.उ.मा.वि. अण्डी	01-27
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		
1	शा. बालक उ.मा.वि. अंबागढ़ चौकी	01-07
2	शा. उ.मा.वि. मोहला	01-08
3	शा. उ.मा.वि. मानपुर	01-09
4	शा.क.परिसर अम्बागढ़ चौकी	01-12
5	शा.उ.मा.वि.औंधी मानपुर	01-14



खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

1	शा. बालक उ.मा.वि. छुईखदान	01-02
2	पदुमलाल पुन्ना लाल बख्सी शा.उ.मा.वि. खैरागढ़	01-03
3	शा.क.उ.मा.वि.खैरागढ़	01-11
4	शा कन्या उ.मा.वि.छुईखदान	01-21
5	शा कन्या उ.मा.वि.गंडई	01-23

कबीरधाम (कवर्धा)

1	शा.आ.क.उ.मा.वि.कवर्धा	02-01
2	शा.उ.मा.वि. बोड़ला	02-02
3	शा.उ.मा.वि. सहसपुर लोहारा	02-03
4	शा.उ.मा.वि.पण्डरिया	02-04
5	शा.उ.मा.वि.पोड़ी	02-06
6	शा.क.उ.मा.वि.पंडरिया	02-07
7	शा.उ.मा.वि. कुण्डा	02-08
8	शा उ.मा.वि.पिपरिया	02-09

दुर्ग

1	शा.उ.मा.वि. तितुरडीह दुर्ग	03-01
2	शा.उ.मा.वि.डुंडेरा, दुर्ग	03-02
3	शा. बालक उ.मा.वि. धमधा	03-03
4	शा.क.उ.मा.वि. पाटन	03-04
5	शा.उ.मा.वि. रुआबांधा, भिलाई, जिला दुर्ग	03-14
6	शा.उ.मा.वि.सेक्टर 11 भिलाई	03-15
7	शा.उ.मा.वि.देवादा, पाटन, जिला दुर्ग	03-16
8	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार (अध्ययन केन्द्र एवं समन्वयक केन्द्र)	03-17
9	शा.उ.मा.वि. मर्रा पाटन	03-18
10	शा.उ.मा.वि.हॉस्पिटल सेक्टर, सेक्टर 09 भिलाई, दुर्ग	03-19
11	शा.क.उ.मा.वि.भिलाई 03	03-20



12	शास. हाईस्कूल पतौरा पाटन, दुर्ग	03-21
13	शा.उ.मा.वि. तकियापारा, दुर्ग	03-22
14	शा.क.उ.मा.वि. रानीतराई (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	03-23
15	शा.बा.उ.मा.वि. सुपेला, भिलाई (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	03-24
रायपुर		
1	पी.एल.यादव शा.हिन्दू उ.मा.वि. रायपुर	04-01
2	जे.आर.दानी शा.क.उ.मा.वि., रायपुर	04-02
3	शा. अरुंधती देवी उ.मा.वि. आरंग	04-03
4	शा.बी.एन.बी. उ.मा.वि. तिल्दा नेवरा	04-04
5	शा. बजरंग दास उ.मा.वि. अभनपुर	04-05
6	शा. उ.मा.वि. सांकरा (धरसीवा)	04-18
7	शा.उ.मा.वि. माना केम्प रायपुर	04-19
8	शा.उ.मा.वि. मोवा	04-20
9	केन्द्रीय जेल रायपुर	04-21
10	जे.एन.पाण्डेय शास. बहु उ.मा.वि. रायपुर	04-22
11	शास. उ.मा.वि. चंदखुरी	04-23
12	शास. उ.मा.वि. खरोरा	04-24
13	शा जे.आर.नायडू उ.मा.वि.रविग्राम रायपुर	04-25
14	शा कन्या उ.मा.वि.चौबेकालोनी रायपुर	04-26
15	शा आडवानी उ.मा.वि.बीरगांव	04-27
16	शा कन्या उ.मा.वि.आरंग	04-29
17	शा हरिहर उ.मा.वि.नवापारा	04-31
18	शा कन्या उ.मा.वि.अभनपुर	04-32
19	शा उ.मा.वि.खोरपा	04-33
20	शा मैत्रीसदन उ.मा.वि.मंदिरहसौद रायपुर	04-34
21	शा के.सी.बघेल उ.मा.वि.सिलयारी	04-35
22	शा कन्या उ.मा.वि.नेवरा	04-36

23	शा.उ.मा.वि.रायपुरा	04-37
24	शहीद स्मारक नगर निगम उ.मा.वि.फाफाडीह चौक रायपुर	04-38
25	पी.जी.उमाठे शा.क.उ.मा.वि. शांतिनगर रायपुर	04-39
26	शा.उ.मा.वि. भंडारपुरी	04-40
27	माधवराव सप्रे नगर निगम शा.उ.मा.वि.रायपुर	04-41
28	शा.उ.मा.वि. फुण्डहर	04-42
29	शा.उ.मा.वि. मानाबस्ती, रायपुर	04-43
धमतरी		
1	शा. बालक उ.मा.वि. धमतरी	05-01
2	शा. उ.मा.वि. मगरलोड	05-02
3	शा.क.उ.मा.वि. नगरी	05-03
4	शा.क.उ.मा.वि. कुरुद	05-04
5	शिवसिंह वर्मा शा.आदर्श क.उ.मा.वि. धमतरी	05-05
6	शा. उ.मा.वि.भाठागांव	05-07
7	शा.उ.मा.वि.भखारा	05-08
8	शा.उ.मा.वि.कुकरेल	05-09
9	शास.उ.मा.वि.बेलरगांव,	05-11
महासमुंद		
1	शा. आदर्श क. उ.मा.वि. महासमुंद	06-01
2	शा. रणजीत कृषि उ.मा.वि. पिथौरा	06-02
3	शा. उ.मा.वि. बागबहरा	06-03
4	शा. क. उ.मा.वि. सरायपाली	06-04
5	शा. आदर्श उ.मा.वि. बसना	06-05
6	माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर शास.उ.मा.वि. सरायपाली	06-06
7	शास.डी.एम.एस.उ.मा.वि. महासमुंद	06-07
8	शास. उ.मा.वि. सांकरा पिथौरा	06-08
9	शा. कन्या उ.मा.वि.बसना	06-09

10	शा उ.मा.वि.खल्लारी	06-10
11	शा उ.मा.वि.झलप	06-12
12	शा उ.मा.वि. बावनकेरा महासमुंद	06-13
13	शा उ.मा.वि. मोंगरापली	06-14
14	शा उ.मा.वि. खट्टी	06-15
बस्तर		
1	शा.एम.एल.बी.क.उ.मा.वि. जगदलपुर	07-01
2	शा. उ.मा.वि. बस्तर	07-07
3	शा. उ.मा.वि. बकावण्ड	07-08
4	शा. उ.मा.वि. लोहण्डीगुड़ा	07-09
5	शा. उ.मा.वि. तोकापाल	07-10
6	शा. उ.मा.वि. किलेपाल	07-11
7	शा. उ.मा.वि. दरभा	07-12
8	शा.बहु.उ.मा.वि. जगदलपुर	07-13
9	शास. उ.मा.वि. केशलुर	07-15
10	शास. क उ.मा.वि. बस्तर	07-16
11	शास. उ.मा.वि.भानपूरी	07-17
12	शास. क.शिक्षा परिसर परचनपाल	07-18
13	शास. उ.मा.वि. जैतगिरी	07-19
14	शा उ.मा.वि.नगरनार	07-20
15	शा उ.मा.वि.छिंदावाड़ा	07-21
16	शा उ.मा.वि.मारडूम	07-22
17	शास.उ.मा.वि.पोटानार	07-25
18	शास.हाईस्कूल बोरपदर	07-26
19	शास.उ.मा.वि.सिरिसगुड़ा	07-27
20	शास.उ.मा.वि. धरमपुरा	07-28
21	शास.उ.मा.वि. बड़े-मोरठपाल (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	07-29

22	शास.उ.मा.वि. चपका (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	07-30
23	शा.उ.मा.वि. नानगुर (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	07-31
24	केन्द्रीय जेल जगदलपुर (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	07-32
कांकेर		
1	शा. क. उ.मा.वि. कांकेर	08-01
2	शा. बालक उ.मा.वि. चारामा	08-02
3	शा. उ.मा.वि. नरहरपुर	08-03
4	शा. उ.मा.वि. दुर्ग कोन्दुल	08-04
5	शा. उ.मा.वि. भानुप्रतापपुर	08-05
6	शा. उ.मा.वि. पखांजूर	08-06
7	शा. उ.मा.वि. अन्तागढ़	08-07
8	शास. उ.मा.वि. धनेली कन्हार कांकेर	08-08
9	शा उ.मा.वि.कोरर	08-11
10	शा कन्या उ.मा.वि.अंतागढ़	08-12
11	शा कन्या उ.मा.वि.नरहरपुर	08-13
12	पं. विष्णु प्रसाद शर्मा शा.उ.मा.वि. कांकेर	08-14
13	शास.बालक उ.मा.वि.सरोना	08-16
दंतेवाड़ा		
1	शा. कन्या उ.मा.वि. दंतेवाड़ा	09-01
2	शा. उ.मा.वि. गीदम	09-02
3	शा.क.उ.मा.वि. कुआंकोड़ा	09-03
4	शा. क.उ.मा.वि. कटेकल्याण	09-04
5	शास. क.उ.मा.वि. गीदम	09-08
6	शा उ.मा.वि.बचेली	09-10
7	शा उ.मा.वि. फरसपाल	09-11
8	शा. हाईस्कूल समलूर (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	09-12
नारायणपुर		

1	शा. बालक उ.मा.वि. नारायणपुर	10-01
2	शा. उ.मा.वि. ओरछा	10-02
3	शा. कन्या उ.मा.वि. नारायणपुर	10-03
बीजापुर		
1	शा. बालक उ.मा.वि. बीजापुर	11-01
2	शा. उ.मा.वि. भैरमगढ़	11-02
3	शा.उ.मा.वि. भोपालपट्टनम	11-03
4	शा.उ.मा.वि. आवापल्ली	11-04
5	शास. उ.मा.वि. उसूर	11-05
6	शास. उ.मा.वि. इलमिड़ी	11-06
7	शा.क.उ.मा.वि. बीजापुर	11-07
8	शा.उ.मा.वि. कुटरु	11-08
9	शा.क.उ.मा.वि. नैमेड़	11-09
सरगुजा		
1	शा. आदर्श क.उ.मा.वि. अंबिकापुर	12-01
2	शा. उ.मा.वि. लहपटरा	12-02
3	शा. उ.मा.वि. उदयपुर	12-03
4	शा. उ.मा.वि. सीतापुर	12-13
5	शा.बा.उ.मा.वि.बतौली	12-14
6	शा.उ.मा.वि. कमलेश्वरपुर, मैनपाट	12-15
7	शा. उ.मा.वि. लुण्ड्रा	12-17
8	नगर पालिका उ.मा.वि. अंबिकापुर	12-20
9	शा.बहु.उ.मा.वि. अंबिकापुर	12-21
10	शास. क.उ.मा.वि. बतौली	12-22
11	शास.क.उ.मा.वि. उदयपुर	12-23
12	शा कन्या उ.मा.वि.लखनपुर	12-24
13	शा कन्या उ.मा.वि.सीतापुर	12-25

14	शा उ.मा.वि. बंदना, मैपनाट	12-26
15	शा (आ.जा.क.) क.उ.मा.वि.लुण्ड्रा	12-27
16	शास.उ.मा.वि.केदारपुर, अंबिकापुर	12-29
17	शास.कन्या शिक्षा परिसर उ.मा.वि.अंबिकापुर	12-30
18	शास.उ.मा.वि. नवानगर, अंबिकापुर, सरगुजा	12-33
कोरिया		
1	शा. रामानुज उ.मा.वि. बैकुंठपुर	13-01
2	शा. बालक उ.मा.वि. सोनहत	13-02
3	शा.क.उ.मा.वि.पटना	13-07
4	शास.उ.मा.वि.कठगोड़ी	13-11
5	शास.उ.मा.वि. मनसुख	13-15
मनेन्द्रगढ़-चिरमरी-भरतपुर		
1	शा. उ.मा.वि. भरतपुर	13-03
2	शा. कन्या उ.मा.वि. मनेन्द्रगढ़	13-04
3	शा. उ.मा.वि. खड़गांव	13-05
4	शा उ.मा.वि. लालपुर	13-09
5	शास.उ.मा.वि.देवाडांड	13-13
6	शास.क.उ.मा.वि. गोदरीपारा, कोरिया	13-16
बिलासपुर		
1	शा.उ.मा.वि. कुदुदण्ड, वि.खं. बिल्हा	14-02
2	शा. बालक उ.मा.वि. मस्तूरी	14-03
3	शा. उ.मा.वि. तखतपुर	14-05
4	शा. डी.के.पी. उ.मा.वि. कोटा (करगीरोड)	14-09
7	शा.उ.मा.वि. राजेन्द्रनगर, बिलासपुर	14-12
8	शा.बालक उ.मा.वि. तिफरा	14-13
10	शास. उ.मा.वि. रतनपुर	14-15
11	शास. क.उ.मा.वि. मस्तूरी	14-16

12	शास. क.उ.मा.वि. बिल्हा	14-17
13	शास. क.उ.मा.वि. कोटा	14-18
14	शास.शहीदभगत सिंह उ.मा.वि.जयरामनगर, बिलासपुर	14-19
15	शास.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि.बिलासपुर (समन्वयक केन्द्र)	14-20
16	शा.क.उ.मा.वि.चकरभाठा	14-21
17	शा कन्या उ.मा.वि.रतनपुर	14-22
18	शा.बा.उ.मा.वि. तखतपुर	14-24
19	शा.उ.मा.वि. गनियारी	14-26
20	शा.उ.मा.वि. बरतोरी (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	14-27
21	शा.उ.मा.वि. चांटीडीह (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	14-28
22	शा.उ.मा.वि. पंधी, वि.खं.मस्तुरी (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	14-29
23	शा.उ.मा.वि. सरकण्डा, बिलासपुर (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	14-30
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही		
1	शा. उ.मा.वि. मरवाही	14-10
2	शा. बहु. उ.मा.वि. पेण्ड्रा	14-11
3	शा. गुरुकुल उ.मा.वि. पेण्ड्रारोड	14-14
जांजगीर-चांपा		
1	शा.उ.मा.वि. क्र. 1 जांजगीर	15-01
2	शा. उ.मा.वि. बलौदा	15-02
3	शा. बालक उ.मा.वि. चांपा	15-03
4	शा. उ.मा.वि. नवागढ़	15-05
5	शा. महामाया उ.मा.वि. पामगढ़	15-06
6	शा. क. उ.मा.वि. अकलतरा	15-10
7	शास. उ.मा.वि. शिवरीनारायण	15-11
8	शास. उ.मा.वि. ससहा	15-12
9	शास. उ.मा.वि. नरियरा (अकलतरा)	15-17
10	शास.बहु.उ.मा.वि.क्रं. 02 जांजगीर	15-22

11	शास.उ.मा.वि. बम्हनीडीह	15-23
12	शास.उ.मा.वि. बुङ्गहन	15-24
13	शास.उ.मा.वि. पुराना हाईस्कूल, बाजारपारा डभरा (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	15-31
14	शास.उ.मा.वि. सकराली (आवेदन फार्म अग्रेषण हेतु)	15-32
सक्ती		
1	शा.क.उ.मा.वि. सक्ती	15-04
2	शा.उ.मा.वि. देवरघटा	15-07
3	शा. उ.मा.वि. बडेमुङ्गपार	15-08
4	शा. उ.मा.वि. जैजैपुर	15-09
5	शास. उ.मा.वि. चन्द्रपुर	15-13
6	शास. उ.मा.वि. कोटमी	15-14
7	शास. उ.मा.वि. चरौदा	15-15
8	शास. उ.मा.वि. पिहरीद मालखरौदा	15-16
9	शास. उ.मा.वि. सपोस डभरा	15-18
10	शास. उ.मा.वि. छपौरा मालखरोदा	15-19
11	शा उ.मा.वि.ओडेकेरा	15-20
12	शास.उ.मा.वि.भोथिया	15-21
13	शास.उ.मा.वि. खजुरानी	15-25
14	शास.उ.मा.वि. कांशीगढ	15-26
15	शास.उ.मा.वि. आमनदुला	15-27
16	शास.बा.उ.मा.वि. हसौद	15-28
17	शास.उ.मा.वि. टुण्डी (ड)	15-29
18	शास.उ.मा.वि. किरारी, सक्ती	15-30
कोरबा		
1	शा. उ.मा.वि. जमनीपाली (एन.टी.पी.सी.) कोरबा (अध्ययन केन्द्र एवं समन्वयक केन्द्र)	16-01
2	शा.उ.मा.वि.नोनबिरा	16-02
3	शा. उ.मा.वि. पाली	16-03



4	शा. बालक उ.मा.वि. कटघोरा	16-04
5	शा. उ.मा.वि. पोड़ी गुरसिया	16-05
6	शा.उ.मा.वि. कोरबा	16-06
7	शास. क.उ.मा.वि. साडा कोरबा	16-07
8	शास. उ.मा.वि. फरसवानी	16-08
9	शास. उ.मा.वि. रामपुर	16-09
10	शास. उ.मा.वि. जमनीपाली	16-10
11	शास. उ.मा.वि. कुदमुरा करतला	16-11
12	शा कन्या उ.मा.वि.बाल्कोनगर कोरबा	16-13
13	शा कन्या उ.मा.वि.कटघोरा	16-14
14	शा बालक उ.मा.वि. पसान	16-15
15	शास.उ.मा.वि.कुदुरमाल	16-16
16	शास.उ.मा.वि.तिलकेजा	16-17
रायगढ़		
1	शा. आदर्श क. उ.मा.वि. रायगढ़	17-01
2	शा. उ.मा.वि. पुसौर	17-02
3	शा. बालक उ.मा.वि. खरसिया	17-03
4	शा. बालक उ.मा.वि. घरघोड़ा	17-06
5	शा. बालक उ.मा.वि. तमनार	17-07
6	शा. उ.मा.वि. लैलूंगा	17-08
7	शा. बालक उ.मा.वि. धर्मजयगढ़	17-09
8	शास. नटवर बहु. उ.मा.वि. रायगढ़	17-10
9	शास. उ.मा.वि. कुंजेमुरा	17-12
10	शा कन्या उ.मा.वि.झाल रायगढ़	17-14
11	शा कन्या उ.मा.वि. लैलूंगा	17-15
12	शा उ.मा.वि.बाकारूमा	17-17
13	शा उ.मा.वि.बर्दा	17-18

14	शा उ.मा.वि. विजयनगर	17-19
15	शा हाईस्कूल कटाईपाली सी	17-20
16	शा हाईस्कूल ठाकुरपोड़ी	17-21
सारंगढ़-बिलाईगढ़		
1	शा. बहु. उ.मा.वि. सारंगढ़	17-04
2	शा. बालक उ.मा.वि. बरमकेला	17-05
3	शास. क उ.मा.वि. बरमकेला	17-13
4	शा कन्या उ.मा.वि.सरिया	17-16
5	शा. कन्या.उ.मा.वि. बिलाईगढ़	21-05
6	शास.बा.उ.मा.वि. बिलाईगढ़	21-11
जशपुर		
1	शा.एम.एल.बी.क. उ.मा.वि. जशपुर नगर	18-01
2	शा. उ.मा.वि. मनोरा	18-02
3	शा. बालक उ.मा.वि. बगीचा	18-03
4	शा. उ.मा.वि. कांसाबेल	18-04
5	शा. कन्या उ.मा.वि. कुनकुरी	18-05
6	शा. उ.मा.वि. तपकरा	18-06
7	शा. उ.मा.वि. दुलदुला	18-07
8	शा. बालक उ.मा.वि. पत्थलगांव	18-08
9	शा कन्या उ.मा.वि.पत्थलगांव	18-11
10	शास.बालक.उ.मा.वि.कुनकुरी	18-12
11	शास.हाईस्कूल घरजियोबथान, पत्थलगांव	18-13
12	शास.हाईस्कूल कुमेकेला	18-14
13	शास.हाईस्कूल बुलडेगा	18-15
14	शास.हाईस्कूल सरईटोला	18-16
15	शास.कन्या हाईस्कूल बागबहार	18-17
बालोद		

1	शा. उ.मा.वि. बालोद	19-01
2	शा. बालक उ.मा.वि. गुरुर	19-02
3	शा. बालक उ.मा.वि.गुण्डरदेही	19-03
4	शा. बालक उ.मा.वि.डौण्डी लोहारा	19-04
5	शा. बालक उ.मा.वि. डौण्डी	19-05
6	शा.उ.मा.वि.अरजुंदा	19-06
7	शा.उ.मा.वि.खेरघा बाजार	19-07
8	शा.उ.मा.वि.दल्लीराजहरा	19-08
9	शा.कन्या उ.मा.वि.डौंडीलोहारा	19-09
10	शा.कन्या उ.मा.वि.गुरुर	19-10
11	शा.कन्या उ.मा.वि.बालोद	19-11
12	शास.कन्या उ.मा.वि.डौण्डी	19-12
बेमेतरा		
1	शा.बालक उ.मा.वि.बेमेतरा	20-01
2	शा.बा.उ.मा.वि.बेरला	20-02
3	शा.उ.मा.वि.साजा	20-03
4	शा.बा.उ.मा.वि.नवागढ़	20-04
5	शा.क.उ.मा.वि.बेमेतरा	20-05
6	शा.क.उ.मा.वि.साजा	20-06
7	शा.क.उ.मा.वि.नवागढ़	20-07
8	शा.उ.मा.वि.गुधेली बेरला	20-08
9	शा.उ.मा.वि.नांदघाट	20-09
10	शा.बालक उ.मा.वि.दाढ़ी	20-10
11	शा.कन्या उ.मा.वि.बेरला	20-11
12	शास.उ.मा.वि.बालसमुंद	20-12
13	शास.उ.मा.वि.अंधियारखोर	20-13
14	शास.उ.मा.वि.टेमरी	20-14

15	शास.उ.मा.वि.संबलपुर	20-15
16	शास.क.उ.मा.वि.थानखम्हरिया	20-17
बलौदाबाजार		
1	शा. बहु. उ.मा.वि. बलौदाबाजार	21-01
2	शा. बहु. उ.मा.वि. भाटापारा	21-02
3	शा. उ.मा.वि. पलारी	21-03
4	शा. गुरुघांसीदास उ.मा.वि. कसडोल	21-04
5	शा. उ.मा.वि. सिमगा	21-06
6	शास. शिवलाल मेहता उ.मा.वि. भाटापारा	21-08
7	शास. क.उ.मा.वि. बलौदाबाजार	21-15
8	शा.कन्या उ.मा.वि. सिमगा	21-16
9	शा.एम.डी.वी.उ.मा.वि. बलौदाबाजार	21-18
गरियाबंद		
1	शा. बालक उ.मा.वि. गरियाबंद	22-01
2	शा. उ.मा.वि. राजिम	22-02
3	शा. टी.डी. उ.मा.वि. फिंगेश्वर	22-03
4	शा. उ.मा.वि. देवभोग	22-04
5	शा. उ.मा.वि. छुरा	22-05
6	शा. उ.मा.वि. मैनपुर	22-06
7	शा. उ.मा.वि. अमलीपदर	22-07
8	शा. उ.मा.वि. लोहर्सी	22-08
9	शा कन्या उ.मा.वि.गरियाबंद	22-09
10	शा उ.मा.वि.पाटसिवनी	22-11
11	शा उ.मा.वि.पोंड	22-12
कोण्डागांव		
1	शा. बालक उ.मा.वि. कोंडागांव	23-01
2	शा. उ.मा.वि. विश्रामपुरी	23-02

3	शा. बालक उ.मा.वि. केसकाल	23-03
4	शा. उ.मा.वि. माकड़ी	23-04
5	शा.आदर्श.उ.मा.वि. फरसगांव	23-05
6	शास.महात्मा गांधी उ.मा.वि. कोण्डागांव	23-06
7	शास.उ.मा.वि. बड़े राजपुर	23-07
8	शास.उ.मा.वि. हीरापुर	23-08
9	शास.उ.मा.वि. अनंतपुर माकड़ी	23-09
10	शास.उ.मा.वि. लंजोडा फरसगांव	23-10
11	शा उ.मा.वि.रांधना	23-13
12	शा उ.मा.वि. बोरगांव	23-14
13	शा उ.मा.वि. मोहलई	23-15
14	शा उ.मा.वि. मालगांव (आवेदन फार्म अग्रेशन हेतु)	23-16
सुकमा		
1	शा. उ.मा.वि. सुकमा	24-01
2	शा. बालक उ.मा.वि. कोंटा	24-02
3	शा.कन्या उ.मा.वि. सुकमा	24-04
बलरामपुर		
1	शा. उ.मा.वि. बलरामपुर	25-01
2	शा. उ.मा.वि. रामानुजगंज	25-02
3	शा.क.उ.मा.वि. कुसमी	25-03
4	शा. बालक उ.मा.वि. शंकरगढ़	25-04
5	शा. बालक उ.मा.वि. राजपुर	25-05
6	शा. उ.मा.वि. वाड्डफनगर	25-06
7	शास. उ.मा.वि. महाराजगंज	25-07
8	शास. उ.मा.वि. डौरा	25-08
9	शास. क.उ.मा.वि. शंकरगढ़	25-09
10	शास. उ.मा.वि. सामरी	25-10

11	शास. क.उ.मा.वि. चांदो	25-11
12	शास.क उ.मा.वि. राजपुर	25-12
13	शास. उ.मा.वि. बरतीकला	25-13
14	शास. उ.मा.वि. पंडरी	25-14
15	शास. उ.मा.वि. परसागुड़ी राजपुर	25-15
16	शास. क.हाईस्कूल रामचन्द्रपुर रामानुजगंज	25-16
17	शा उ.मा.वि.विजयनगर	25-17
18	शा बालक उ.मा.वि. कुसमी	25-18
19	शास.उ.मा.वि.कोरन्धा, कुसमी	25-19
20	शास.उ.मा.वि. कमारी	25-20
सूरजपुर		
1	शा. उ.मा.वि. सूरजपुर	26-01
2	शा. उ.मा.वि. ओड़गी	26-02
3	शा. उ.मा.वि. भैयाथान	26-03
4	शा. उ.मा.वि. रामानुजनगर	26-04
5	शा. उ.मा.वि. प्रेमनगर	26-05
6	शा. उ.मा.वि. प्रतापपुर	26-06
7	शास. उ.मा.वि. विश्रामपुर	26-07
8	शास. आ.जा.क.उ.मा.वि. रामानुजनगर	26-08
9	शास. आ.जा.क.उ.मा.वि. तिवरागुड़ी	26-09
10	शास. क. उ.मा.वि. प्रेमनगर	26-10
11	शास.कन्या उ.मा.वि.सूरजपुर	26-11
12	शा कन्या उ.मा.वि.प्रतापपुर	26-13
13	शास.कन्या.उ.मा.वि.भैयाथान	26-14
14	शास.उ.मा.वि.दवना	26-15
मुंगेली		
1	शा. बी.आर.साव उ.मा.वि. मुंगेली	27-01

2	शा. उ.मा.वि. पथरिया	27-02
3	शा. उ.मा.वि. गोड़खाम्ही	27-03
4	शास. क.उ.मा.वि. मुगेली	27-04
5	शास. क.उ.मा.वि. लोरमी	27-06
6	शास.उ.मा.वि. करही	27-07
7	शास.बा.उ.मा.वि. सरगांव	27-08
8	शास.उ.मा.वि. अखरार	27-09

-- XX --

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर
शुल्क विवरण – हाईस्कूल परीक्षा (प्रथम अवसर)

क्र.	वर्ग	पंजीयन/ प्रवेश शुल्क	परीक्षा शुल्क	अंक क्रेडिट शुल्क	माईग्रेशन शुल्क	अंकसूची शुल्क	योग
1	सामान्य	550	375		50	50	1025
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	410	375		50	50	885
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	410	375		50	50	885
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	410	375		50	50	885
5	निःशक्त/दिव्यांग	275	375		50	50	750
क्रेडिट योजना के अंतर्गत चार विषय लेने पर							
1	सामान्य	550	300	100	50	50	1050
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	410	300	100	50	50	910
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	410	300	100	50	50	910
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	410	300	100	50	50	910
5	निःशक्त/दिव्यांग	275	300	100	50	50	775
क्रेडिट योजना के अंतर्गत तीन विषय लेने पर							
1	सामान्य	550	225	200	50	50	1075
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	410	225	200	50	50	935
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	410	225	200	50	50	935
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	410	225	200	50	50	935
5	निःशक्त/दिव्यांग	275	225	200	50	50	800
शुल्क विवरण – हायर सेकण्डरी परीक्षा (प्रथम अवसर)							
1	सामान्य	1000	375		50	50	1475
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	750	375		50	50	1225
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	750	375		50	50	1225
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	750	375		50	50	1225
5	निःशक्त/दिव्यांग	500	375		50	50	975
क्रेडिट योजना के अंतर्गत चार विषय लेने पर							
1	सामान्य	1000	300	100	50	50	1500
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	750	300	100	50	50	1250
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	750	300	100	50	50	1250
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	750	300	100	50	50	1250
5	निःशक्त/दिव्यांग	500	300	100	50	50	1000
क्रेडिट योजना के अंतर्गत तीन विषय लेने पर							
1	सामान्य	1000	225	200	50	50	1525
2	अनु.जाति, अनु. जनजाति के सभी छात्र	750	225	200	50	50	1275
3	सभी वर्ग की छात्राएँ	750	225	200	50	50	1275
4	सिनीयर सिटीजन/ट्रांसजेंडर	750	225	200	50	50	1275
5	निःशक्त/दिव्यांग	500	225	200	50	50	1025
शुल्क विवरण – हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा (द्वितीय से नवम अवसर)							
स.क्र.	विषयावर	परीक्षा शुल्क	आवेदन शुल्क	अंकसूची शुल्क	कुल शुल्क		
1	एक विषय	75	25	50	150		
2	दो विषय	150	25	50	225		
3	तीन विषय	225	25	50	300		
4	चार विषय	300	25	50	375		
5	पांच विषय	375	25	50	450		

- नोट :** (1) इसके अतिरिक्त प्रायोगिक विषय का चयन करने पर प्रति विषय प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रु 50/- अतिरिक्त देय होगा।
(2) हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी ओपन स्कूल के किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त 40/- रु. अग्रेषण शुल्क अलग से देय होगा।
(3) विवरणिका शुल्क रु 125/- अलग से देय होगा।



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर अन्य त्रुटि सुधार संबंधी शुल्क विवरण

क्र.	विवरण	शुल्क राशि
1	अंकसूची त्रुटि सुधार (छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि)	250 / - रुपये
2	अंकसूची / माईग्रेशन द्वितीय प्रति	100 / - रुपये
3	विषय परिवर्तन	200 / - प्रति विषय
	हाईस्कूल	200 / - प्रति विषय
	हायर सेकण्डरी	250 / - प्रति विषय
4	केन्द्र परिवर्तन	500 / -
5	अंकसूची सत्यापन	200 / - प्रति अंकसूची
6	पुनर्गणना	100 / - प्रति विषय
7	उत्तरपुस्तिका छायाप्रति	500 / - प्रति विषय

नोट :- परीक्षा परिणाम जारी होने के तीन माह के भीतर निःशुल्क एवं तीन माह समाप्ति उपरांत निर्धारित शुल्क के साथ त्रुटि सुधार का कार्य किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर

LIST OF RECOGNISED BOARDS OF SECONDARY AND SENIOR SECONDARY EDUCATION

SR No	State	Board Name	Place
1	ANDHRA PRADESH	Andhra Pradesh Board of Intermediate Education.	HYDERABAD
2	ANDHRA PRADESH	Andhra Pradesh Board of Secondary Education.	HYDERABAD
3	ANDHRA PRADESH	Andhra Pradesh Open School Society, SCERT Campus	HYDERABAD
4	ASSAM	Assam Board Of Secondary Education.	GUWAHATI
5	ASSAM	Assam Higher Secondary Education Council.	Bamunimaidan GUWAHATI
6	BIHAR	Bihar Intermediate Education Council.	PATNA
7	BIHAR	Bihar Sanskrit Siksha Board.	PATNA
8	BIHAR	Bihar School Examination Board.	PATNA
9	CHHATTISGARH	Chhattisgarh Board Of Secondary Education	RAIPUR
10	CHHATTISGARH	Chhattisgarh Madarsa Board Raipur	RAIPUR
11	CHHATTISGARH	Chhattisgarh Sanskrit Vidya Mandalam Raipur	RAIPUR
12	CHHATTISGARH	Chhattisgarh State Open School Raipur	RAIPUR
13	GOA	Goa Board Of Secondary & Higher Education	GOA
14	GUJRAT	Gujrat Secondary & Higher Education	GUJRAT
15	HARYANA	Haryana Board Of Education	Hansi Road BHIWANI
16	HARYANA	Haryana Open School	BHIWANI
17	HIMACHAL PRADESH	Himachal Pradesh Board Of School Education	DHARAMSHALA
18	JAMMU & KASHMIR	J & K State Board Of School Education	JAMMU
19	JAMMU & KASHMIR	J & K State Open School	SRINAGAR
20	JHARKHAND	Jharkhand Academic Council	RANCHI
21	KARNATKA	Karnataka Board Of the Pre-University Education	BANGLORE
22	KARNATKA	Karnataka Open School, J.S.S. Maha Vidya Peeth	MYSORE
23	KARNATKA	Karnataka Secondary Education Examination Board	BANGLORE
24	KERALA	Kerala Board of Higher Secondary Education	THIRUVANANTHPURAM
25	KERALA	Kerala Board Of Public Examinations, Pareeksha Bhawan	THIRUVANANTHPURAM
26	KERALA	Kerala State Open School	THIRUVANANTHPURAM
27	MADHYA PRADESH	M.P. State Open School	BHOPAL
28	MADHYA PRADESH	Madhya Pradesh Board Of Secondary Education	BHOPAL
29	MAHARASHTRA	Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education	PUNE
30	MANIPUR	Manipur Board Of Secondary	IMPHAL
31	MANIPUR	Manipur Council Of Higher Secondary Education	IMPHAL



SR No	State	Board Name	Place
32	MEGHALAYA	Maghalaya Board Of School Education	MEGHALAYA
33	MIZORAM	Mizoram Board Of School Education Chaltlan	AIZAWL
34	NAGALAND	Nagaland Board Of School Education	KOHIMA
35	ORISSA	Orissa Board Of Secondary Education	CUTTACK
36	ORISSA	Orissa Council Of Higher Secondary Education	BHUBANESHWAR
37	PUNJAB	Punjab School Education Board	MOHALI
38	RAJASTHAN	Rajasthan Board Of Secondary Education	AJMER
39	RAJASTHAN	Rajasthan State Open School	JAIPUR
40	TAMILNADU	Tamilnadu Board Of Higher Education	CHENNAI
41	TAMILNADU	Tamilnadu Board Of Secondary Education	CHENNAI
42	TRIPURA	Tripura Board Of Secondary Education	AGARTALA, TRIPURA WEST
43	UTTARAKHAND	Uttaranchal Shiksha Evin Pariksha Parishad, Ramnagar	NANITAL
44	UTTARPRADESH	U.P. Board Of High School & Intermediate Education	ALLAHABAD
45	WESTBENGAL	Rabindranath Mukta Vidyalaya (W.B. State Open School)	CALCUTTA
46	WESTBENGAL	West Bengal Board Of Secondary Education	CALCUTTA
47	WESTBENGAL	West Bengal Council Of Higher Education	CALCUTTA
48	ALL INDIA BOARDS	Central Board Of Secondary Education	DELHI
49	ALL INDIA BOARDS	Council For Indian School Certificate Examinations	NEW DELHI
50	ALL INDIA BOARDS	National Institute Of Open Schooling (formerly National Open School)	NEW DELHI
51	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Aligarh Muslim University	ALIGARH
52	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Banasthali Vidyapith Banasthali	RAJASTHAN
53	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Directorate Of Army Education	NEW DELHI
54	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Gurukul Kangri Vishwavidyalaya	HARIDWAR
55	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Jamia Milliya Hamdard University	ALIGARH
56	OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY EDUCATION	Rashtriya Sanskrit Sansthan	NEW DELHI



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

प्रारूप - 1

विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र
छात्र द्वारा संबंधित अध्ययन केन्द्र के माध्यम से एक सत्र (एक परीक्षा) पूर्व ही प्रस्तुत किया जाए

प्रति,
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर,
पेंशनबाड़ा, रायपुर 492001

विषय : विषय परिवर्तन हेतु आवेदन ।
महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि पूर्व में मेरे द्वारा चयनित विषय/विषयों में मैं परिवर्तन कराने का इच्छुक हूँ जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) विद्यार्थी का नाम :
- (2) पिता का नाम :
- (3) नामांकन क्रमांक :
- (4) प्रवेश वर्ष (जब प्रवेश लिया) :
- (5) अध्ययन केन्द्र का नाम :

(6) विषय परिवर्तन

	पूर्व में चयनित विषय	विषय कोड	परिवर्तन हेतु इच्छित विषय	विषय कोड
1				
2				
3				

- (7) 1. निर्धारित शुल्क की राशि रूपये
(रु. 200/- प्रति विषय हाईस्कूल एवं :
रु. 250/- प्रति विषय हायर सेकण्डरी)
2. बैंक ड्राफ्ट क्र. एवं दिनांक :
3. जारीकर्ता बैंक का नाम/स्थान :
- (8) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त परिवर्तन किए गये विषय क्रेडिट योजनांतर्गत सम्मिलित नहीं है।

समन्वयक प्राचार्य का अग्रेषण

क्र. दिनांक

अनुशंसा की जाती है

हस्ता.

समन्वयक प्राचार्य

सील

हस्ताक्षर आवेदक

दिनांक

नाम

पत्र व्यवहार का पता

- नोट :** 1. यदि आपने विषय परिवर्तन के लिए आवेदन दिया है एवं आपको किसी प्रकार की सूचना अप्राप्त है तो कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करें। आपको विषय परिवर्तन सूचना प्राप्त न होने अथवा विषय परिवर्तन न होने पर पुराने विषय में ही परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा ।
2. परीक्षा योजना के अनुरूप विषयों का चयन नहीं हो तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल उत्तरदायी नहीं है।

प्रवेश फार्म भरते समय विषयों का चयन अपने भविष्य की योजना के अनुरूप करें ।



(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र
अनुभाग जिला छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम जाति/जनजाति का/की सदस्य और इस
जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341 के अधीन छ.ग. राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छ.ग. की सूची में
अनुक्रमिक पर अंकित हैं । अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की
है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है ।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का
नाम
पदनाम

टिप्पणी :-

- 1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छ.ग. राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति ।
- 2 केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे ।
 - (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी)
उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट,
 - (ब) तहसीलदार
 - (स) नायब तहसीलदार
 - (द) परियोजना प्रशासक अधिकारी वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।
यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच कर आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

प्रारूप – 3

केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

छात्र द्वारा संबंधित अध्ययन केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर,
पेंशनबाड़ा, रायपुर 492001

विषय : केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन ।

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में चयनित अध्ययन केन्द्र में मैं परिवर्तन कराना चाहता हूँ । मेरे से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) विद्यार्थी का नाम :
- (2) पिता का नाम :
- (3) नामांकन क्रमांक :
- (4) प्रवेश वर्ष (जब प्रवेश लिया) :
- (5) अध्ययन केन्द्र का नाम :

(6) केन्द्र परिवर्तन

पूर्व में चयनित केन्द्र	केन्द्र क्रं.	परिवर्तन हेतु इच्छित केन्द्र	केन्द्र क्रं.

- (7) 1. केन्द्र परिवर्तन शुल्क की राशि रुपये
(रु. 500/- हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी) :
2. बैंक ड्राफ्ट क्रं. एवं दिनांक :
3. जारीकर्ता बैंक का नाम/स्थान :

टीप :- प्रवेश फार्म भरते समय अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क पोर्टल में गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा किया जावे

अध्ययन केन्द्र प्राचार्य का अग्रेषण
क्रं. दिनांक

अनुशांसा की जाती है

हस्ता.

अध्ययन केन्द्र प्राचार्य

सील

हस्ताक्षर आवेदक
दिनांक

नाम

पत्र व्यवहार का पता

.....

.....

वाट्सअप नं.





छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

अंको के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
पेशन बाड़ा, रायपुर

1. नाम
2. अनुक्रमांक
3. परीक्षा का नाम
4. परीक्षा वर्ष
5. केन्द्र का नाम.....जिला.....
6. केन्द्र क्रमांक

विषय :- अंको के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

मैं निम्नलिखित विषयों में प्राप्तांको का सत्यापन कराना चाहता/चाहती हूँ :-

विषय/प्रश्न पत्र

1.
2.
3.
4.
5.

इस हेतु प्रति विषय/प्रश्न पत्र रुपये 100/- की दर से कुल राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक का बैंक का नाम संलग्न है।

क्रं.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक

नोट:- जिन विषयों के अंको का सत्यापन कराना चाहते हो, केवल उसी विषय के प्राप्तांक संबंधित कॉलम में अंकित किये जावें एवं घोषित परीक्षाफल अंकसूची की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जावें अन्यथा सत्यापन संबंधी कार्यवाही नहीं की जावेगी। बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम से ही बनवाया जाय।

परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जावेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अपूर्ण शुल्क/बिना शुल्क/अधूरी जानकारी वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

पता-.....

.....पोस्ट ऑफिस जिला(छ.ग.) पिन कोड

नोट:- (1) अंकसूची की छायाप्रति (2) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक राशि

आवेदक के हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण निर्देश :- (1) अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय अवसर की परीक्षा में बैठने हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र में अनिवार्य रूप से जमा करायें। पुनर्गणना का इन्तजार न करें द्वितीय अवसर की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
(2) इस प्रपत्र की छायाप्रति (फोटोकॉपी) उपयोग की जा सकती है।



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान (NIOS) द्वारा अमान्य बोर्डों की सूची

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन असपथी भवन उत्तम नगर नई दिल्ली | – न्यू दिल्ली |
| 2. | ऑल इण्डिया सेकण्डरी बोर्ड एजुकेशन | – गाजियाबाद |
| 3. | सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इस्ट पटेल नगर | – न्यू दिल्ली |
| 4. | बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग ब्रम्हपुरी नगलराय | – न्यू दिल्ली |
| 5. | गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन | – वृन्दावन |
| 6. | बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड | – पटना |
| 7. | अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान | – न्यू दिल्ली |
| 8. | ए.सी.एन. इन्टरनेशनल युनिवर्सिटी | – रायपुर |
| 9. | डॉन इन्टरनेशनल युनिवर्सिटी | – रायपुर |
| 10. | हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद | – इलाहाबाद |
| 11. | बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन दिल्ली | – दिल्ली |
| 12. | विद्यालय एवं तकनीकी बोर्ड | – बिलासपुर |

छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्डों के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन फार्म संलग्न न करें। यदि छात्र उक्त बोर्ड के प्रमाण पत्र संलग्न करता है तो छात्र का आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

टिप्पणी :-

1. प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों को व्यक्त करने में कहीं कोई शंका होने पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को अधिकार है कि वह नियमों में कोई संशोधन, परिवर्तन अथवा बदलाव कर सकते हैं और उसे क्रियान्वित कर सकता है।
3. यदि निर्धारित अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश, अथवा, रविवार होगा तो ऐसी स्थिति में आगामी कार्य दिवस अंतिम दिन के रूप में मान्य होगा।
4. प्रवेश के लिये आवेदन पत्र और फीस/परीक्षा फीस प्राप्त करने की निर्धारित तिथि में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।





छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा नई पहल करते हुए केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षा जेल परिसर में ही अयोजित की जा रही है।



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अवकाश अवधि में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए संपर्क कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।



आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल